


50



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. निग.-1921-दो/2016

दिनांक - 9036-11-17

1. श्रीनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,
2. विश्वनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,
3. रंगनाथ पुत्र श्री नंदकुमार,
समस्त निवासीगण ग्राम छेलाई तहसील
ईसागढ़ जिला अशोकनगर जिला
अशोकनगर (म.प्र.) --आवेदकगण

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बट्टीप्रसाद
निवासी- ग्राम धुरा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 सारखेडी
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.
प्र.) --अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

माननीय महोदय,

अनावेदक क्र. 1 का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदकगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के ओदश के विरुद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक निग.-1921-दो/2016 में दिनांक 12/01/2017 को आदेश पारित किया गया है।
2. यहकि, लिपकीय त्रुटिवश आदेश के पैरा 2 के 9वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 त्रुटिवश टंकित हो गया है। जबकि सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित होना था।
3. यहकि, सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 के स्थान पर सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर सीमांकन आदेश दिनांक 05/06/2016 के स्थान पर सीमांकन आदेश दिनांक 04/06/2016 टंकित किये जाने का आदेश

दिनांक 25.1.17 को
श्री सीमांकन आदेश का
समस्त निवासीगण
05.1.17


निवेदक
पुनरीक्षण
25-1-2017

✓

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9036-दो/17

जिला- अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 6 .2.17 | <p>आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 1921-दो/16 में पारित आदेश दिनांक 12.1.17 के पैरा 2 की 9 वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 5.6.16 त्रुटिवश टंकित हो गया है जबकि सीमांकन आदेश दिनांक 4.6.16 टंकित होना था।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1921-दो/16 में पारित आदेश दिनांक 12.1.17 के पैरा 2 की 9 वीं लाईन में एवं 14 लाईन में सीमांकन आदेश दिनांक 5.6.16 के स्थान पर 4.6.16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> | <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> |